वर्ष - 01, अंक - 04, मार्च, 2023

द डाटा स्ट्रीट

THE DATA STREET

मूल्य 30 रुपये

हिन्दी मासिक पत्रिका

राहुल का रण

संपादकीय,

राहुल एवं अदानी प्रकरण की अग्निपरीक्षा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। यह चुनाव भाजपा के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा काँग्रेस और गैर भाजपा दलों के लिए भी है। जिस तरह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में कर्नाटक में समर्थन मिला था और 2018 के चुनाव में भाजपा से 2% अधिक मत मिले थे। यह 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। 2% अधिक मत पाने के बाद भी काँग्रेस की भाजपा से 24 सीटें कम थी। भाजपा 36.22% मत के साथ 104 सीटें जीती थी जबकि काँग्रेस 38.4% मत के साथ 80 सीटें जीती। जेडीएस को 37 सीटें एवं 18.36% वोट मिले थे।

2023 में स्थितियाँ 2018 से अलग है। चुनाव परिणाम के बाद वाई एस येदियुरप्पा ने शपथ लिया लेकिन विधानसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण सरकार गिर गई। काँग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली। जोड़-तोड़ कर भाजपा ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बना ली। 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद येदियुरप्पा को हटा कर बी बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही है वहीं दूसरी तरफ काँग्रेस के शिव कुमार और सिद्धारमैया है। येदयुरप्पा को अधिक उम्र के कारण हटाया गया था। वह नाराज न हो इसलिए येदयुरप्पा के चहेते को मुख्यमंत्री भी बनाया गया लेकिन येदयुरप्पा के प्रभाव के बिना भाजपा कर्नाटक में कमजोर थी इसलिए 80 वर्षीय येदयुरप्पा को केंद्रीय पार्लियामेन्ट्री बोर्ड में शामिल किया गया।

येदयुरप्पा, लिंगायत समुदाय के काफी प्रभावशाली एवं बड़े नेता हैं। कर्नाटक में 14% लिंगायत की आबादी है आर्थिक रूप से सम्पन्न लिंगायत समुदाय कर्नाटक में लगभग 100 सीटों को प्रभावित करता है। वोक्कालिंगा 11% तथा दलित 19.5 तथा अनुसूचित जनजाति 7, आँय ओबीसी तथा मुस्लिम 16-16% है । मुस्लिम 95% काँग्रेस के साथ है। जिसके कारण भाजपा के हिन्दुत्व को मुस्लिम वोट बैंक बैलेन्स करता है। वोक्कालिंगा के प्रभाव वाली जेडीएस की अहम भूमिका हो जाती है। जातीय एवं धार्मिक समीकरण के अनुसार ही भाजपा काँग्रेस और जेडीएस के विधायक चुने जाते हैं।

राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अदानी को मदद पहुंचाने और उन्हें बचाने का गंभीर आरोप लगा रहे है जबकि 2019 में कर्नाटक में दिये गये भाषण के आरोप में सूरत के कोर्ट ने राहुल को 2 वर्ष की सजा दी जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। राहुल के सदस्यता जाने और अदानी मोदी के गठजोड़ के बीच कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव परिणाम 2024 के लिए अहम हैं किसके पक्ष में होगा यह तो 13 मई को पता चलेगा लेकिन भाजपा हारती है तो विपक्ष का प्रभाव बढ़ेगा। 2024 में मोदी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलेगी और अगर भाजपा जीत गई तो विपक्ष के लिए 2024 में मोदी को हराने की चुनौती बहुत बढ़ जाएगी।

द डाटा स्ट्रीट

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष - 01, अंक - 04, मार्च, 2023

संरक्षक –
जस्टिस आर एन पाण्डेय
(पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

सम्पादक - राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
स्थानीय संपादक - विजय शंकर पंकज
समाचार संपादक - सुजीत श्रीवास्तव
स्टेट ब्यूरो यू पी - अमन सिन्हा
ब्यूरो चीफ - रोहित सिंह
यूपी-उत्तराखण्ड प्रभारी - जीतेन्द्र सिंह चौहान
दिल्ली ब्यूरो - अतुल कुमार
कोलकाता ब्यूरो - सुशांतो बनर्जी
चेन्नई ब्यूरो - कुमार देवेश
देहरादून ब्यूरो - पूजा बिष्ट
हैदराबाद ब्यूरो - इरफान
अहमदाबाद ब्यूरो - मोहित जडेजा
गुवाहाटी ब्यूरो - देवास्वरूप बरूआ
विधि सलाहकार - संतोष शुक्ल (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेच)
ग्राफिक्स एवं डिजाइन - बसंत चौहान

कार्यालय: डी– 1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 मोबाइल: 9415020028
ईमेल – uridmedia24@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वास्तिक प्रिन्टिंग प्रेस 27 माई की बगिया बड़ा चांदगंज लखनऊ उ0 प्र0– 24 से मुद्रित डी–1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, यू0पी0–226010 से प्रकाशित

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है ।

पी0 आर0 बी0 अधिनियम 1867 की धारा 7 के अन्तर्गत पत्रिका में प्रकाशित समस्त लेखों की जिम्मेदारी सम्पादक की होगी।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

विषय सूची

राहुल का रण.. 05
- लंदन में राहुल गांधी का इंटरव्यू

भाजपा ने राहुल गांधी से की माफी मांगने की मांग.......... 09
- 'भारत की प्रतिष्ठा पर हमला'

राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा........ 12
- राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द
- राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला

राहुल गांधी बोले - मैं सावरकर नहीं गांधी हूं और गांधी माफ़ी नहीं मांगता... 18
- मोदी और अदानी पर सवाल

कायर है इस देश का प्रधानमंत्री-प्रियंका गांधी............... 23

कांग्रेस के मशाल मार्च के जवाब में BJP का पोस्टर वार, कहा-'हम सब सावरकर!'......................... 25

राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन, पहने काले कपड़े............................... 26

छापे और भागे.. 29

8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपीए के 9 साल में 4156 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई थी अटैच.............. 40

पिछले ढ़ाई दशक से हम डाटा, सर्वे एवं चुनाव अभियान से जुड़े कार्य कर रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से निरंतर डाटा से जुड़ी खबरें एवं जानकारी दी जाती रही हैं। विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव परिणाम की विश्लेषणात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 'द डाटा स्ट्रीट' पत्रिका में समाज से जुड़ी विभिन्न खबरें, चुनाव विश्लेषण व केंद्र एवं प्रदेश सरकार के योजनाओं की जमीनी हकीकत, डाटा आधारित जानकारी दी जाएगी। पत्रिका एवं पोर्टल दोनों डाटा आधारित होंगे।

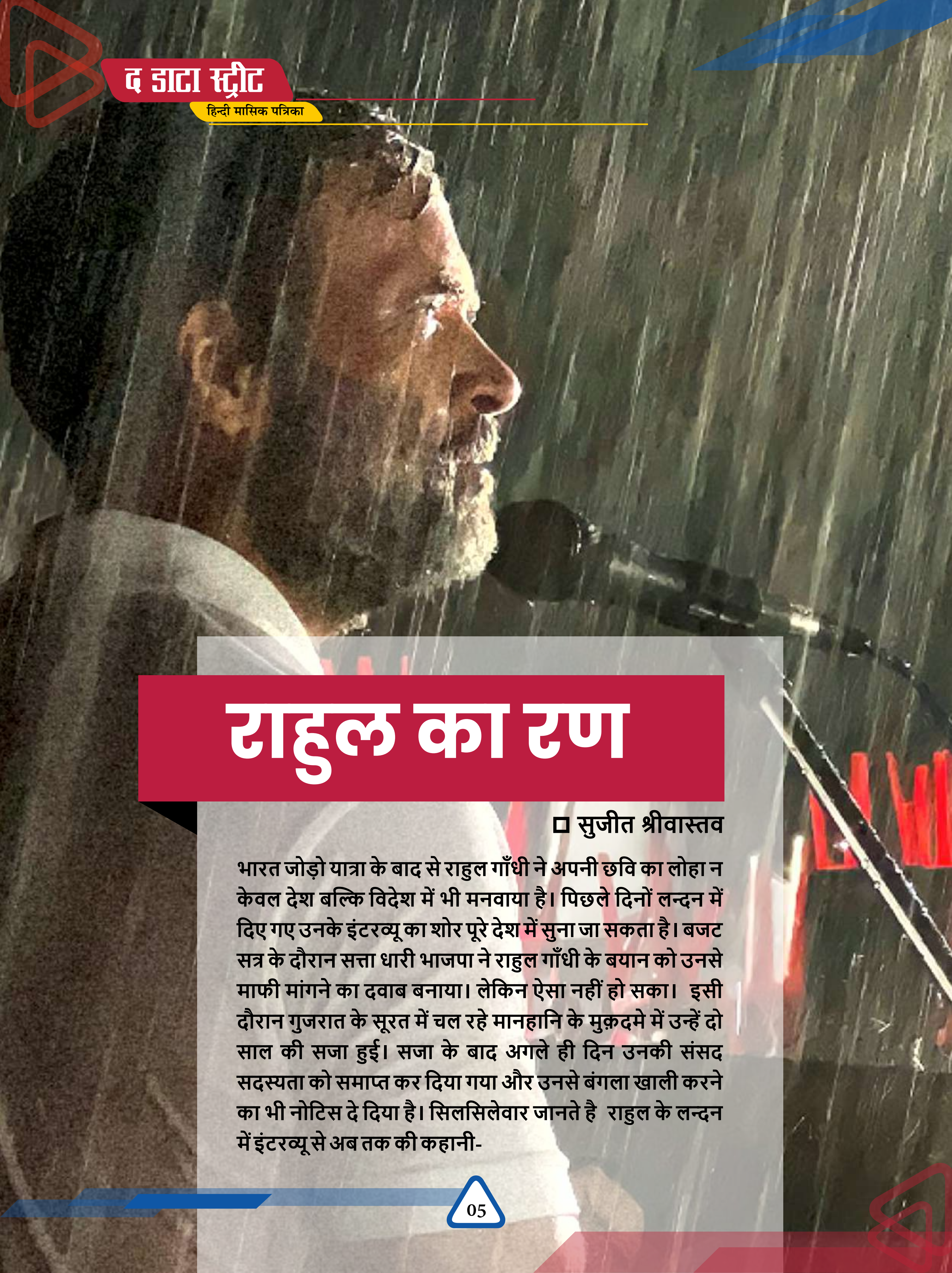

राहुल का रण

□ सुजीत श्रीवास्तव

भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गाँधी ने अपनी छवि का लोहा न केवल देश बल्कि विदेश में भी मनवाया है। पिछले दिनों लन्दन में दिए गए उनके इंटरव्यू का शोर पूरे देश में सुना जा सकता है। बजट सत्र के दौरान सत्ता धारी भाजपा ने राहुल गाँधी के बयान को उनसे माफी मांगने का दवाब बनाया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी दौरान गुजरात के सूरत में चल रहे मानहानि के मुक़दमे में उन्हें दो साल की सजा हुई। सजा के बाद अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और उनसे बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया है। सिलसिलेवार जानते है राहुल के लन्दन में इंटरव्यू से अब तक की कहानी-

लंदन में राहुल गांधी का इंटरव्यू

लंदन में हुई एक कॉन्फ्रेंस 'आइडिया फॉर इंडिया' में राहुल गांधी ने जो बातें कहीं, बहस उन पर शुरू हुई है। लगभग एक घंटे की बातचीत में राहुल गांधी ने संविधान, अर्थव्यवस्था, कांग्रेस के चिंतन शिविर, चीन, अमेरिका जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी।

''जो रूस यूक्रेन में कर रहा है ठीक वही पैटर्न चीन भारत में डोकलाम और लद्दाख में दिखा रहा है। चीन ने भारत में डोकलाम और लद्दाख में अपनी सेना तैनात कर रखी है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को भारत का हिस्सा मानने से इंकार करता है।''

हालही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीन पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। लेकिन भारत सरकार इस पर बात ही नहीं कर रही है।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्यों की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "भारत राज्यों का एक संघ है, भारत बना ही ऐसे जहां हर राज्य की अपनी पहचान है, धर्म और संस्कृति है और उनके पास अपनी बात रखने और बातचीत करनेकी क्षमता है। भारत ऐसे नहीं बना जहां शक्ति का केंद्र किसी एक सत्ता के हाथों में हो बल्कि ये राज्यों और

उनकी शक्तियों के मूल्यों पर बना देश है। लेकिन अभी ये हो रहा है कि एक सुनियोजित हमला किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके राज्यों को, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आज राज्य बातचीत करने की हालत में ही नहीं रह गए हैं।"

"एक विपक्ष के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी है कि संस्थान आरएसएस और एक विचार के कब्ज़े में ना रहें। हम मानते हैं कि देश में हर जाति, धर्म के लोगों को सुविधाएं मिले और आरएसएस-बीजेपी चाहती है कि लोगों को सुविधाएं कर्म (जाति) के आधार पर मिले।"

"जिन्हें ये लगता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं उन्हें समझना होगा कि हम एक पार्टी से नहीं लड़ रहे बल्कि हम संस्थानों के पूरे स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं जिस पर एक संगठन, बीजेपी की विचार धारा का क़ब्ज़ा हो चुका है। तो हमारे पास बस एक ही विकल्प है कि हम जनता के पास जाएं और ये सिर्फ़ कांग्रेस पर लागू नहीं होती बल्कि सभी विपक्षी पार्टियों पर लागू होती है।"

बेरोज़गारी रिकॉर्ड पर और थोक मंहगाई 15 फ़ीसदी पर जा पहुंची है लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस हार रही है ऐसा क्यों?

राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा, "देश में बढ़ते ध्रुवीकरण और मीडिया पर बीजेपी के पूरी तरह काबू होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप पांच घंटे तक भारतीय न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो भी आपको एक भी बार मोदी जी के अलावा कोईऔर नहीं दिखेगा।"

"हमें ये भी कबूल करना होगा कि आरएसएस ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जो बड़ी आबादी के बीच फैल गया है। हमें एक ढांचा तैयार करना होगा और उन 60 फ़ीसदी लोगों के बीच और भी आक्रामक तरीके से जाना होगा जो बीजेपी को नहीं वोट करतेऔर ये हम सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर करना होगा।"

देश के हालात पर उन्होंने कहा, "हमारे देश में बड़े स्तर पर ध्रुवीकरण है, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है। देश में सामाजिक परेशानी आनी ही है। ये निश्चित है कि देश में लोगों का विरोध बढ़ने वाला है।"

"सवाल ये है कि क्या उस विरोध और जनता के गुस्से को विपक्ष शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। एक संभावना ये भी है कि देश में अनियंत्रित विरोध की परिस्थिति पैदा हो जाए जैसा कि हम पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में देख रहे हैं।"

"भारत की स्थिति इस वक़्त ठीक नहीं है, बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे। ये ज़िम्मेदारी भी कांग्रेस की है वो लोगों को एक साथ लेकर आए

और लोगों का गुस्सा और जो आग लोगों के बीच है उसे संयमित किया जाए।"

दुनिया के उभरते नए सुपर पावर चीन और अमेरिका के बीच भारत कैसे डील करे।

इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, "बीते सौ सालों में दुनिया केसामने एक ही विजन था वो था मैरीटाइम विजन यानी समुद्री विस्तार का विजन उससे पहले लैंड पर आधारित विजन था। लेकिन अब पहली बार दुनिया के सामने दो विजन हैं- एक है चीन का टैरेस्टियल विजन (क्षेत्रीय प्रसार का विजन) और दूसरा है अमेरिका का मैरीटाइम विजन।"

"अभी चीन का बेल्ट एंड रोड सिस्टम वास्तव में दुनिया को एक टेरेस्टियल ट्रेडिंग सिस्टम में बदलने की मुहिम है। चीन की उत्पादन प्रणाली ही इसके लिए खर्च कर रही है।"

अभी एक सुनियोजित हमला किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके राज्यों को, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आज राज्य बातचीत करने की हालत में ही नहीं रह गए हैं।"

"अब आप एक समानांतर तुलना देखें। चीन ने डोकलाम और लद्दाख में अपनी सेना बैठा रखी है और वो भी यही कह रहा है कि हम अरुणाचल और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं अपना हिस्सा मानते हैं। हमें इस परेशानी को मानना पड़ेगा और इसकी लिए खुद को तैयार करना होगा। लेकिन हमारी सरकार बात नहीं करना चाहती। चीनी सैनिक आज भारत में घुस कर बैठे हैं। वो पैंगोंग झील पर पुल बना रहेहैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि मैं बार-बार चीन का मुद्दा उठाता हूं, मैं कहता हूं हां मैं चीन की बात करता हूं क्योंकि मैं आने वाली परेशानी देख पा रहा हूं और हमने देखा है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है।"

"मैं ये देख सकता हूं कि चीन के पास एक विजन है लेकिन निराशा ये है कि किसी और के पास, भारत या अमेरिका किसी के पास वैसा काउंटर विजन नहीं है। चीन देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि हम आपको इंफ्रास्टक्चर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं आपके देश को बेहतर बनाने के लिए। ज़ाहिर तौर पर चीन का अपना उद्देश्य है लेकिन आधारभूत चीज़ ये है कि वो समृद्धि के बदले ऐसा कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी देश ऐसा कोई ऑफर नहीं दे रहे लेकिन ये कह रहे हैं कि चीन को रोको।"

"भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्ते पर उन्होंने कहा हम भारतीयों के दिमाग को जटिलताओं से निपटने की आदत है। अगर कोई एक चीज़ जो भारतीय दिमाग कर सकता है तो वो है जटिल से जटिल मुद्दों को खूबसूरती से सुलझा लेना। चीन के साथ हमारी स्थिति बेहद जटिल है और हमें इसे सतही समझ से नहीं देखना चाहिए।"

"हमारे पास कई ऐसे अधिकारी और विदेशी मामलों के जानकार हैं जो मदद कर सकते हैं लेकिन ये तभी होगा जब प्रधानमंत्री सुनना चाहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सुनना ही नहीं चाहते और यही कारण है कि कोई नौकरशाह भी नहीं सुनते।"

"यूक्रेन में जो रूस कर रहा है ठीक वही पैटर्न चीन भारत के साथ दिखा रहा है। रूसने यूक्रेन में क्या किया उसने यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो राज्य को हम आपका नहीं मानते और आप नेटो में शामिल नाहों, पश्चिम से अपने रिश्ते कम करें।बस इसी बात पर रूस ने यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय सीमा का सम्मान ना करते हुए उस पर हमला कर दिया।"

भाजपा ने राहुल गांधी से की माफी मांगने की मांग

◻ अमन सिन्हा

लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो सत्तारूढ़ भाजपा ने चौतरफा हमला बोला और उन पर 'भारत विरोधी ताकतों की भाषा' बोलने तथा 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र व संसद को ''गाली देने'' के बाद स्वदेश लौटे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से अपनी टिप्पणियों के लिए खेद स्वरूप एक भी शब्द न निकलना उनके अहंकार को दर्शाता है।

ब्रिटेन यात्रा से लौटने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे संसद में अपना पक्ष रखने का मौका देने की अपील की। इसके बाद राहुल के खिलाफ संसद भवन परिसर में तीन केंद्रीय मंत्रियों ने, तो संसद के बाहर केंद्रीय कानून मंत्री किरेनरीजीजू और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस नेता को अपने बयानों के लिए पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा कि वह ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानों ''देशभक्ति का कोई महान कार्य'' करने के बाद वह भारत लौटे हों। गोयल ने कहा कि गांधी ने अब तक माफी नहीं मांगकर अपनी और कांग्रेस की छोटी मानसिकता का प्रदर्शन किया है।

'भारत की प्रतिष्ठा पर हमला'

संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा, ''भारत की प्रतिष्ठा पर पहले कभी इस तरह से हमला नहीं हुआ है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग करने से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। जिस भारत को पूरी दुनिया लोकतंत्र की जननी के रूप में देखती है उसके लिए राहुल गांधी ने गंभीर अपमानजनक टिप्पणी की है, और इससे पूरे देश में गुस्सा है।''

उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि सांसद और देश यही मांग कर रहे हैं। जोशी ने जोर देकर कहा कि भाजपा के अलावा अन्य दल भी गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं।

लंदन में राहुल गांधी ने कही थी ये बातें

हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर ''बर्बर हमला'' हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं।

राहुल ने व्याख्यान में यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं।संसद भवन परिसर में ही पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ''परदेशी'' घर आ गये हैं और अब विदेशी सरजमीं से ''भारत की छवि खराब करने के अपने कृत्यों ''पर वह माफी मांग लें।

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी ने विदेशी सरजमीं से देश को अपमानित करने का काम किया है। ये टुकड़े-टुकड़े व देश का नामोनिशान मिटाने के सपने देखने वाले गैंग के साथ खड़े होते हैं। अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अब विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम किया है। उन्हें सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए।''

'चुप नहीं बैठेगी भाजपा'

केंद्रीय मंत्री किरेनरीजीजू ने अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एक संसद सदस्य के 'भारत विरोधी कृत्य' की निंदा सांसद नहीं करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि वे संसद में क्या कर रहे थे?

रीजीजू ने कहा कि अगर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो भाजपा ना चुप बैठेगी और ना ही उन्हें माफ करेगी।

रीजीजू ने कहा कि भारत विरोधी ताकतों और एक 'गिरोह' ने विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने की साजिश

रची थी। उन्होंने कहा, ''हम जनता के हित में बोलते हैं लेकिन भारत विरोधी ताक़तें जितनी भी हैं उन सभी की भाषा और लाइन एक है, जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं। वही भाषा भारत के अंदर और वही भाषा भारत के बाहर... भारत के विरोध में काम करने वाले बोलते हैं। उन्हें संसद में माफी मांगनी होगी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे माफी मांगने को कहें।''

'देश राहुल गांधी के अहंकार से दुखी'

भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र को पटरी से उतारने और नीचा दिखाने को अपनी आदत बना लेने का आरोप लगाया। प्रसाद ने संसद में बोलने की अनुमति देने या नहीं देने संबंधी राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी लोकतंत्र की सफलता या विफलता का 'पैमाना' नहीं बन सकती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति के खिलाफ टिप्पणी करने और अमेरिका तथा यूरोप के हस्तक्षेप की मांग करने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेता के खिलाफ अभियान जारी रखेगी और देश तथा उसके लोगों का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगने को कहेगी। प्रसाद ने कहा, ''आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा था, उसका मुझे खेद है। आज देश उनके अहंकार से दुखी है।''

इससे पहले, राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ सरकार के चार मंत्रियों ने आरोप लगाए गए हैं, इसलिए उन्हें लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

उन्होंने यहदावा भी किया कि अडाणी समूह से जुड़े मामले से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से संसद में पूरा तमाशा खड़ा किया गया है।

राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। सूरत की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी ठहराया। कांग्रेस नेता को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम किसी तरह की दया की याचना नहीं करते हैं। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।

पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। कानून के अनुसार, कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और उनकी अगली अपील तक, कोर्ट द्वारा सजा को स्थगित कर दिया गया है।पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें अपील की अवधि तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 'मोदी' सरनेम से जुड़े बयान का है। राहुल गांधी के खिलाफ यह ने कथित तौर पर कहा था, ''क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?'' वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने ये बयान 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार

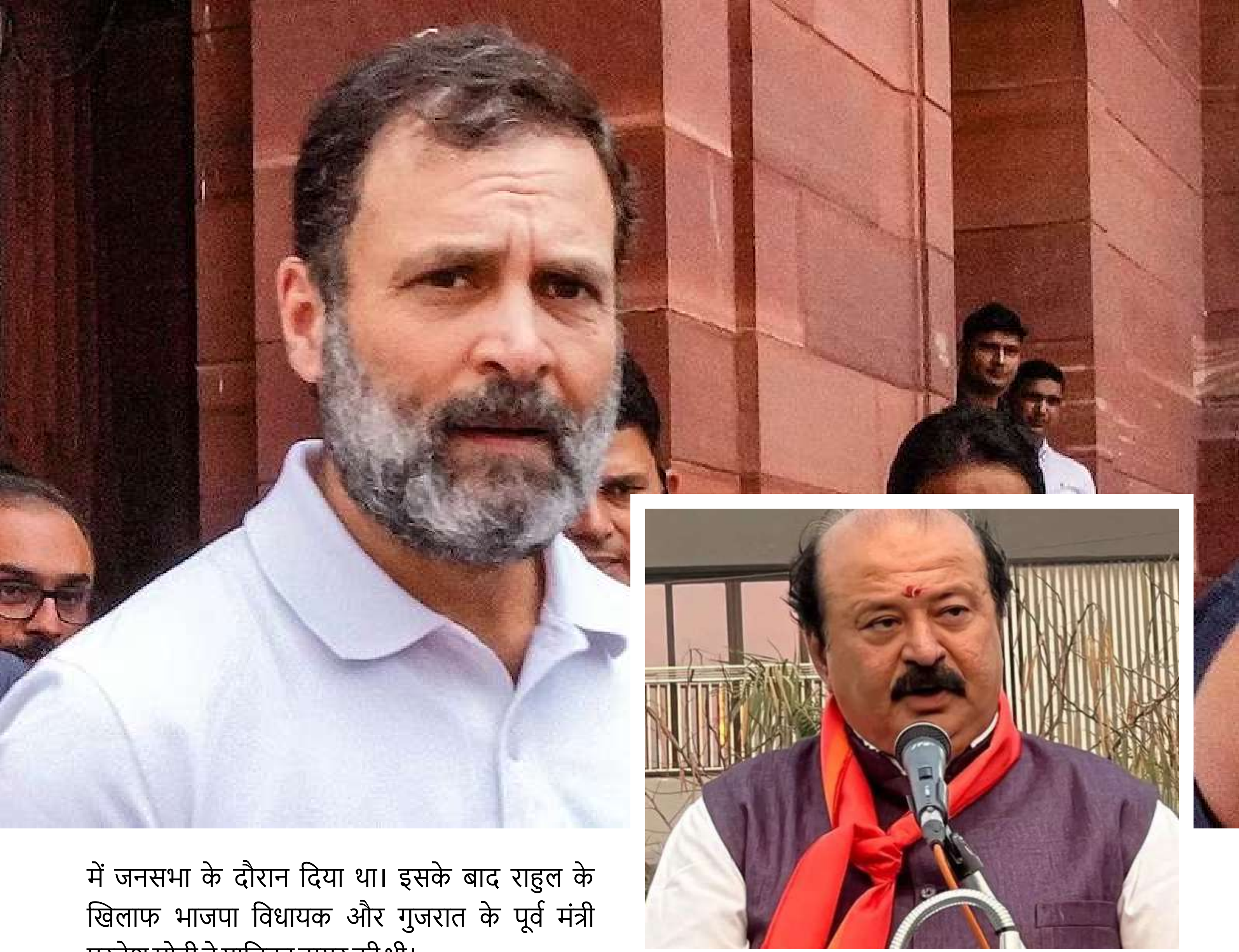

में जनसभा के दौरान दिया था। इसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी।

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। वहीं, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया।। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए।

इससे पहले राहुल गांधी के वकील कीरिटपानवाला ने बताया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, ''राहुल गांधी अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे। कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी।

ठाकोर ने बताया कि गांधी सुबह नौ बजे सूरत की अदालत में पेश होंगे।उन्होंने ट्वीट किया कि पार्टी ''भाजपा की तानाशाही'' के आगे नहीं झुकेगी और उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने की अपील की। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जनवरी में संपन्न 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद उनका यह पहला गुजरात दौरा है।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द

चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सज़ा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है।

अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है।

ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है। इससे पहले, राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सज़ा सुनाई थी।

कोर्ट ने 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया, साथ ही सज़ा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था, यानी राहुल गांधी के पास सज़ा के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय है।

साल 2019 का ये मामला 'मोदी सरनेम' को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"

क्या कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 8(1) के मुताबिक़ दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का ग़लत इस्तेमाल करने परसदस्यता जा सकती है।

उत्तरप्रदेश में रामपुर से विधायक आज़म ख़ान की अक्टूबर2022 में सदस्यता रद्दकर दी गई थी, क्योंकि उन्हें हेटस्पीच के मामले में कोर्ट ने तीन साल कीसज़ा सुनाई थी। हेटस्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) के तहत आता है।

हालांकि मानहानि इसमें नहीं आती है।

धारा 8 (2) के तहत जमाखोरी, मुनाफ़ाखोरी, खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट याफिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम छह महीने की सज़ा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी।

धारा 8 (3) के तहत किसी अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे दो सालया उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा।

सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल की सज़ा सुनाई है और धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है।

प्रावधान के मुताबिक़, वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा और उसकी रिहाई के छह साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी दो साल की सज़ा और उसके बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला

लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिये गये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को 12तुगलक रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया। ये फैसला वायनाड सांसद की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद लिया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं। राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था।

सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस पर राहुल गांधी बोले- आदेश का होगा पालन

लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा,"12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले को खाली कराने के संबंध में 27 मार्च, 2023 के मिले पत्र के लिए धन्यवाद। पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में यहां बिताए अपने समय की सुखद यादों का एहसानमंद हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं नोटिस के अनुसार जरूर इस बंगले को खाली करूंगा।"

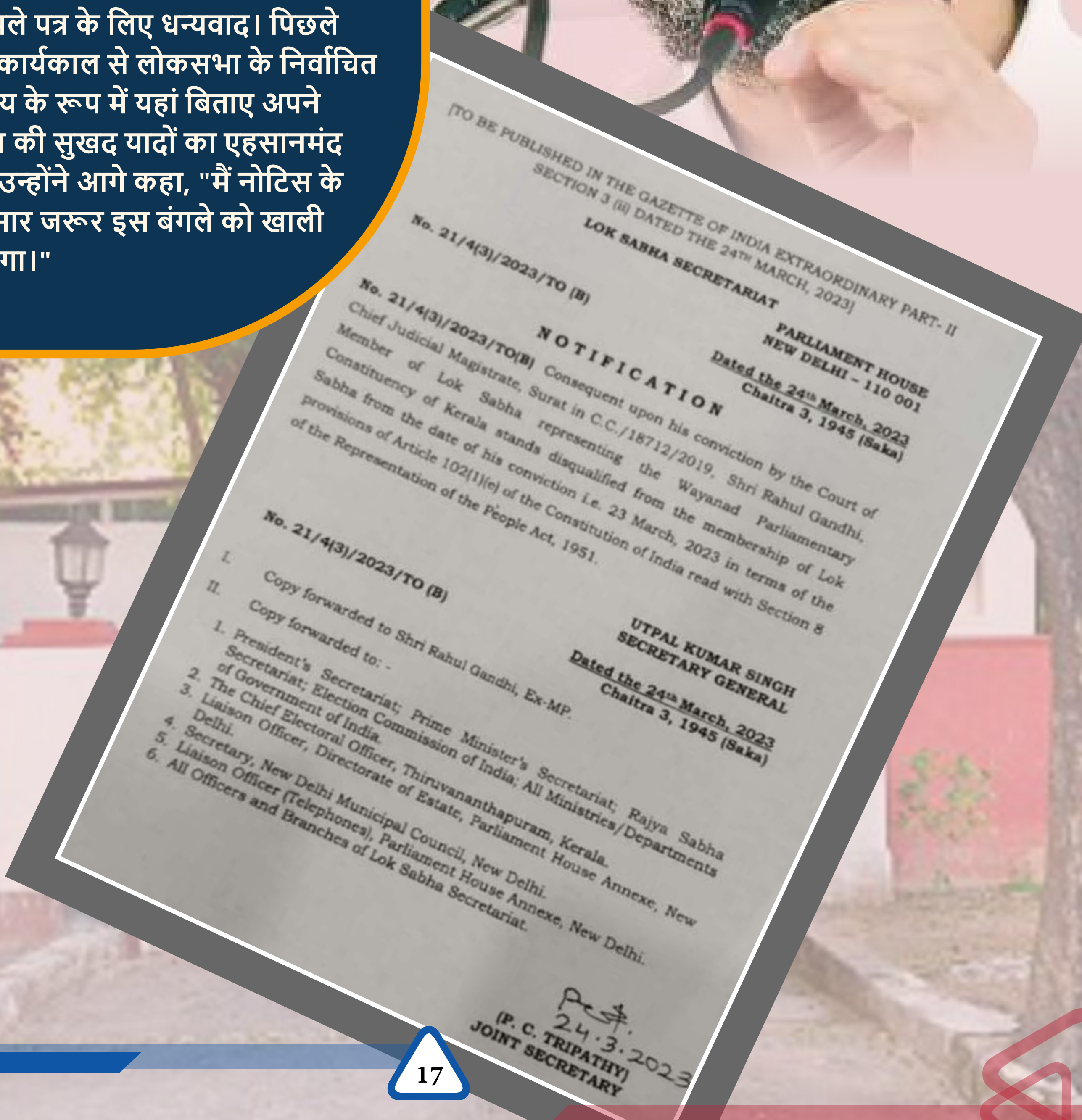

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART- II SECTION 3 (ii) DATED THE 24TH MARCH, 2023]

LOK SABHA SECRETARIAT

PARLIAMENT HOUSE
NEW DELHI – 110 001

No. 21/4(3)/2023/TO (B)

Dated the 24th March, 2023
Chaitra 3, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 21/4(3)/2023/TO(B) Consequent upon his conviction by the Court of Chief Judicial Magistrate, Surat in C.C./18712/2019, Shri Rahul Gandhi, Member of Lok Sabha representing the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction i.e. 23 March, 2023 in terms of the provisions of Article 102(1)(e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951.

UTPAL KUMAR SINGH
SECRETARY GENERAL

No. 21/4(3)/2023/TO (B)

Dated the 24th March, 2023
Chaitra 3, 1945 (Saka)

I. Copy forwarded to Shri Rahul Gandhi, Ex-MP.

II. Copy forwarded to: -

1. President's Secretariat; Prime Minister's Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; Election Commission of India; All Ministries/Departments of Government of India.
2. The Chief Electoral Officer, Thiruvananthapuram, Kerala.
3. Liaison Officer, Directorate of Estate, Parliament House Annexe, New Delhi.
4. Secretary, New Delhi Municipal Council, New Delhi.
5. Liaison Officer (Telephones), Parliament House Annexe, New Delhi.
6. All Officers and Branches of Lok Sabha Secretariat.

24.3.2023

(P. C. TRIPATHY)
JOINT SECRETARY

राहुल गांधी बोले मैं सावरकर नहीं गांधी हूं और गांधी माफ़ी नहीं मांगता

लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए। दिल्ली में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने एकबार फिर अदानी समूह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर तीखे सवाल किए।

संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और कारोबारी अदानी के बीच के संबंधों को लेकर बार-बार आरोप लगाए। अदानी समूह की कंपनियों को मिले पैसों पर भी उन्होंने सवाल किए।

राहुल गांधी ने कहा, " मेरी सदस्यता रद्द की गई क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे अगले (संभावित) भाषण से डरे हुए थे। वो उस अगली स्पीच से डरे हुए थे जो अदानी पर होने वाली थी। मैंने ये उनकी आंखों में देखा। वो ये नहीं चाहते थे कि ये भाषण संसद में हो।"

राहुल गांधी ने कहा, " इसीलिए पहले (संसद की कार्यवाही में) बाधा डाली गई। अब सदस्यता रद्द की गई है। कृपया इसे लेकर भ्रमित मत होइए। नरेंद्र मोदी और अदानी के बीच गहरा रिश्ता है।"

अपने बयान को लेकर कोर्ट में माफी मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, "मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगता।"

संवाददाता सम्मेलन में वो कुछ सवालों को लेकर उखड़े भी। उन्होंने एक पत्रकार को नाम लेकर टोका और कहा, "मुझे पहले अपनी बात करने दें।"

वहीं एक और पत्रकार को उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं तो बीजेपी का तमगा लगा कर आएं और खुद को पत्रकार न कहें। इसके जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि 'राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते रहे हैं।'

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'झूठ बोलना राहुल गांधी की फ़ितरत है। उन्होंने हमेशा विदेश में भारत का अपमान किया है।'

संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोर्ट के फ़ैसले के बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि मामला कोर्ट का है और इस बारे में 'मैं यहां कोई बात नहीं करूंगा।'

मोदी और अदानी पर सवाल

राहुलगांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अदानी के रिश्तों को 'क्लोज़ पार्टनरशिप' का नाम दिया और कहा कि गुजरात में मोदी के उभार के साथ अदानी का भी उभार हुआ है।

उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री और अदानी के बीच क्या रिश्ता है? उन्होंने ये भी सवाल किया, "अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों को 20 हज़ार करोड़ (3 अरब डॉलर) दिए गए हैं, वो किसके हैं?"

उन्होंने बीजेपी पर बार-बार इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा, "मैंने संसद में मोदी और अदानी के क़रीबी रिश्तों के बारे में सबूत दिए, स्पीकर को विस्तार के साथ इसके बारे में लिखा। मैंने इसमें डिफेन्स इंडस्ट्री और एयरपोर्ट के बारे में लिखा जिसके रिसर्च से जुड़े सभी दस्तावेज़ और प्रेस क्लिपिंग भी उन्हें दिए।"

उन्होंने कहा, "मैंने स्पीकर को बताया कि नियम बदलकर अदानी को एयरपोर्ट दिए गए हैं लेकिन इससे कोई फर्क़ नहीं पड़ा।"

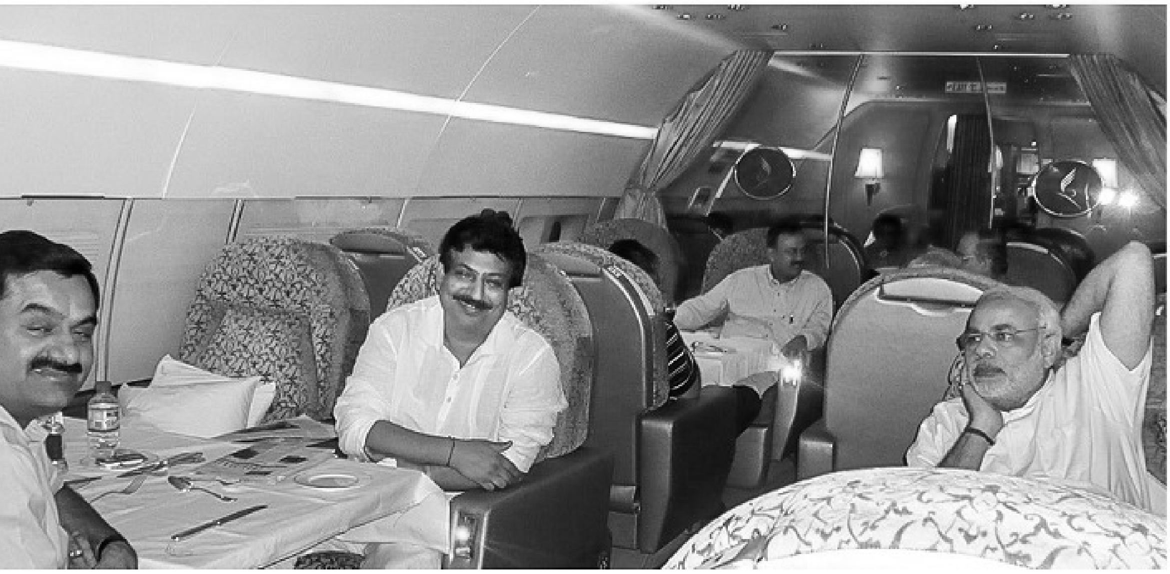

उन्होंने कहा, "मैंने जो आरोप लगाए थे उस स्पीच को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन इस बात को नज़र अंदाज़ कर दिया गया कि 20 हज़ार करोड़ (3 अरब डॉलर) किसके हैं।"

उन्होंने लंदन में हाल में दी गई अपनी स्पीच के बारे में लगाए गए बीजेपी के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए कहा, "मुझ परआरोप लगाया गया कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।"

राहुल गांधी ने स्पीकर पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा, "पहली चिट्ठी का उत्तर नहीं मिलने के बाद मैंने फिर से स्पीकर को चिट्ठी लिखी लेकिन उन्होंने मुझसे मुस्कुराकर कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते।"

उन्होंने कहा कि "मुझे डर नहीं लगता, मैं सवाल करना जारी रखूंगा। चुप रहने का मेरा इतिहास नहीं रहा है।"

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को सवाल करना चाहिए कि अदानी के पास जो पैसे आए वो कहां से आए, क्योंकि ये मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ा है।

राहुल गांधी का इशारा इस बात की तरफ था कि साल 2017 में अदानी समूह ने स्वीडन की एक कंपनी के साथ भारत में फ़ाइटर जेट बनाने के लिए करार किया था।

सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को क्या उम्मीद है?

"मेरी सदस्यता रद्द की जाए या फिर मुझे फिर से बहाल किया जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी रहूं मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा।

संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी के छोटे-से बयान के बाद उनसे कई सवाल किए गए। लोकसभा सदस्यता रद्द होने से जुड़े एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा, "मेरी सदस्यता रद्द की जाए या फिर मुझे फिर से बहाल किया जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी रहूं मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। अगर मुझे पांच-सात साल की सज़ा भी दे देते तो भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।"

उन्होंने कहा, "मैं एक ही कदम उठाऊंगा वो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। मेरा काम इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करनी है, मैं वो करता रहूंगा, चाहे सदन में रह कर करूं या फिर बाहर रह कर करूं। कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठा रहे हैं जो बिल्कुल ग़लत है।"

अपनी सदस्यता रद्द होने को लेकर उन्होंने कहा, "बीजेपी ने पैनिक रिएक्शन किया है लेकिन इससे उन्होंने खुद ही विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार दे दिया है।"उन्होंने कहा, "मोदी मेरे सवालों से डर गए हैं, इसलिए पहले उन्होंने मेरा माइक बंद किया और अब सदस्यता रद्द करवाई। "उन्होंने कहा, "जनता को पता है कि अदानी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन लोग ये सवाल कररहे हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, "अदानी की कंपनियों को 20 हज़ार करोड़ रुपये मिले हैं, किसी को नहीं पता ये पैसे किसके हैं।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को डर है कि मोदी-अदानी रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी इसलिए मुझे रोका जा रहा है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अपना काम जारी रखेंगे।"

एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि राहुल गांधी कोर्ट में माफी क्यों नहीं मागते। इसके उत्तर में राहुल गांधी ने तंज़ कसते हुए कहा, "मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगता।"

उन्होंने कहा, "इस देश में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, जो इसका विरोध करते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। "उन्होंने कहा, "मैं मोदी पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं अदानी पर सवाल कर रहा हूं। बीजेपी से मेरी शिकायत है कि आप मोदी का बचाव करें, अदानी को बचाव क्यों कररहे हैं। आप बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ही अदानी हैं।"

कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझपर... प्रियंका गांधी

दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान होता है, शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को मीर जाफर बोला जाता है। मेरे पूरे परिवार का अपमान होता है, पूरे कश्मीरी समाज के रिवाज का अपमान होता है, लेकिन इसके बाद भी इनपर कोई मुकदमा नहीं होता।

1. 32 साल पुराना किस्सा किया याद

प्रियंका गांधी ने कहा, 'मुझे 32 साल पुरानी बात याद आई, मई 1991 की बात। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां, भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई, उसके ऊपर मेरे पिता जी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला फिर राहुल कहने लगे कि मैं उतरना चाहता हूं। मां ने मना किया। राहुल ने जिद की, मैंने कहा उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा और सेना के ट्रक के पीछे चलने लगा। और तीन मूर्ति से लेकर कड़ी धूप में पिता के जनाजे के पीछे-पीछे चलते-चलते यहां पहुंचा। इस जगह से 400-500 मीटर दूर... मेरे शहीद पिता का अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किया।'

2. अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, 'आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वोपरिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए? अहंकारी, तानाशाह जब जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है ये पूरी सरकार एक आदमी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इस अडानी में है क्या कि आप इसे देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं। ये अडानी है कौन कि इनका नाम सुनते ही आप बौखला जाते हैं।

3. प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, केस लगा दो मुझपर, डाल दो मुझे जेल में... मैं नहीं डरूंगी। लेकिन सच्चाई यही है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छिपा हुआ है। अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है।'

4. 'राहुल इतने पढ़े लिखे और आप पप्पू बुलाते हैं'

उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटका रही है। राहुल गांधी को आप पप्पू बुलाते हैं, जबकि वो इतने बड़े संस्थानों में पढ़े हैं। अब आपको पता चल रहा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, इनके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, उन्होंने संसद में ऐसे सवाल उठाए कि ये लोग घबरा गए, सरकार पर जवाब तक नहीं था। राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलकर 5 हजार किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर गया. और जनता की आवाज उठाई।

5. 'इस देश में इतनी महंगाई क्यों है'

लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है इनको जवाब देने का। इस देश में इतनी महंगाई क्यों है? जनता को एक हजार का सिलेंडर मिल रहा है और उनकी संपत्ति सिर्फ एक आदमी के हवाले की जा रही है। आप इतने काम कर सकते हो लेकिन एक सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते। क्या आप अडानी को बचाने के लिए यह सबकुछ कर रहे हैं। आज पूरी सरकार एक शख्स को बचाने में जुटी है, ऐसा क्या है अडानी में... ये अडानी है कौन? आप सब उनका नाम उछलते ही खड़े हो जाते हैं।

कांग्रेस के मशाल मार्च के जवाब में BJP का पोस्टर वार, कहा- 'हम सब सावरकर!'

राहुल गांधी के विनायक दामोदर सावरकर पर दिए बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति और तेज हो गई। राहुल गांधी के बयान पर उद्धव ठाकरे पार्टी शिवसेना भी सहमत नहीं है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अपने बयान पर अभी भी अडिग बने हुए हैं। इस बयान के बाद राहुल गांधी के समर्थन में महाराष्ट्र की नागपुर यूथ कांग्रेस ने मशाल मार्च निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इसके उलट महाराष्ट्र बीजेपी ने 10 जगहों पर वीर सावरकर के पोस्टर लगाकर बड़ा समर्थन दिखाया है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीउय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। रैली राम कुलार चौक से शिवाजी पुतला चौक तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया किअडानी के खिलाफ उठती आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। इस वजह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा कांग्रेस ने इसे सत्याग्रह मार्च का नाम दिया।

इसके बाद भाजपा भी पूरी तरह से वीर सावरकर के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस के इस मशाल मार्च के जवाब में 10 जगहों पर पोस्टेरचस्पाउ कर बड़ा समर्थन दिखाया है। बीजेपी ने पोस्टार पर लिखा है-'हम सब सावरकर।' इससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है।

राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन, पहने काले कपड़े

कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ और अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में काले कपड़े पहन रखे थे।

संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिए गए इस धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के कई सांसद, द्रविड़ मुनेत्रकषगम (द्रमुक) के टीआर बालू, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के सभी सांसदों, द्रमुक के बालू, आरएसपी के प्रेमचंद्रन और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी काले कपड़े पहने हुए थे। संसद परिसर में धरने के बाद विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने हाथों में एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर 'सत्यमेवजयते' लिखा हुआ था।

विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रसून बनर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने 18 विपक्षी दलों की बैठक में भी भाग लिया था। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय बाद कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की किसी बैठक और प्रदर्शन में शामिल हुई है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों का आभार जताया।

उन्होने विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा, ''हम काले कपड़े पहनकर आए हैं क्योंकि हम यह दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले स्वायत्त संस्थाओं को खत्म किया गया और फिर डरा-धमकाकर हर जगह सरकारें बनाई गईं और फिर जो लोग झुकते नहीं हैं, उन्हें ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर डराने धमकाने का प्रयास किया गया और अब यह प्रयास किया जा रहा है।''

खरगे ने दावा किया कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया क्योंकि सरकार अडाणी मामले पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों से डर गई थी और 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद उन्हें अपने लिए चुनौती मानने लगी थी। उन्होंने कहा, ''अडाणी को लेकर राहुल गांधी जी ने संसद में कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब नहीं मिला।''

उन्होंने कहा, ''सभी दल यही मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बनाओ। अगर जेपीसी बनेगी तो सब चीजें बाहर आएंगी।।सरकार जेपीसी से क्यों डर रही है? आपकी तो बहुमत (की सरकार) है।''खरगे ने तंज कसते हुए कहा, ''आप डर रहे हैं क्योंकि दाल में कुछ काला है। जो लोग डरते हैं वो कभी न कभी मरते भी हैं?''

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई। यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है।''उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष को बोलकर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करवा दिया ताकि वह अडाणी की बात सदन में नहीं कर सकें।

उन्होंने कहा, '' राहुल गांधी जी को डराने के लिए यह है। राहुल गांधी नहीं डरेंगे। विपक्षी दल झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और डरेंगे नहीं।''द्रमुक के टीआर बालू ने भी कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जाना लोकतंत्र के लिए काला दिन है।इससे पहले, विपक्षी नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्षमल्लिकार्जुनखरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में खरगे के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, द्रमुक के टीआर बालू, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी और मणिकमटैगोर ने राहुल गांधी को आयोग ठहराये जाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यस्थगन का नोटिस दिया था।उनका कहना था कि जल्दबाजी में किया गया यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

उधर, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य सैयद नासिर हुसैन और कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करते हुए कार्यस्थगन के नोटिस दिए।

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ''मोदी उपनाम'' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।

गत 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लगातार सात कामकाजी दिनों तक लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही।

छापे और भागे
विपक्षी राजनेताओं पर ईडी का कसता शिकंजा

◻ राजेन्द्र द्विवेदी , त्रिपुरा

बीते साल मार्च में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था किसाल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5346 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की गई। लेकिन साल 2014 से लेकर 2022 के आठ वर्षों के बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 रेड की और लगभग एक लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई।

पिछले आठ सालों में राजनीतिक लोगों के ख़िलाफ़ ईडी के मामले चारगुना बढ़े हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जाँच ईडी कर रही है, इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों सेहैं यानी 95 फ़ीसदी मामले विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ हैं।अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर 2014 के दस सालों में 26 नेताओं की जाँच ईडी ने की इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे।

हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ़ दर्ज़ केस की जानकारी देता हो। 'हम आम केस और राजनेताओं के केस को अलग-अलग तरह से नहीं देखते।'

ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के दस सालों में 72 राजनेता सीबीआई के स्कैनर में आए और उनमें से 43 नेता विपक्ष के थे यानी तकरीबन 60 प्रतिशत। साल 2014 से लेकर 2022 तक एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टी के थे यानी 95 फ़ीसदी विपक्ष के नेता है।

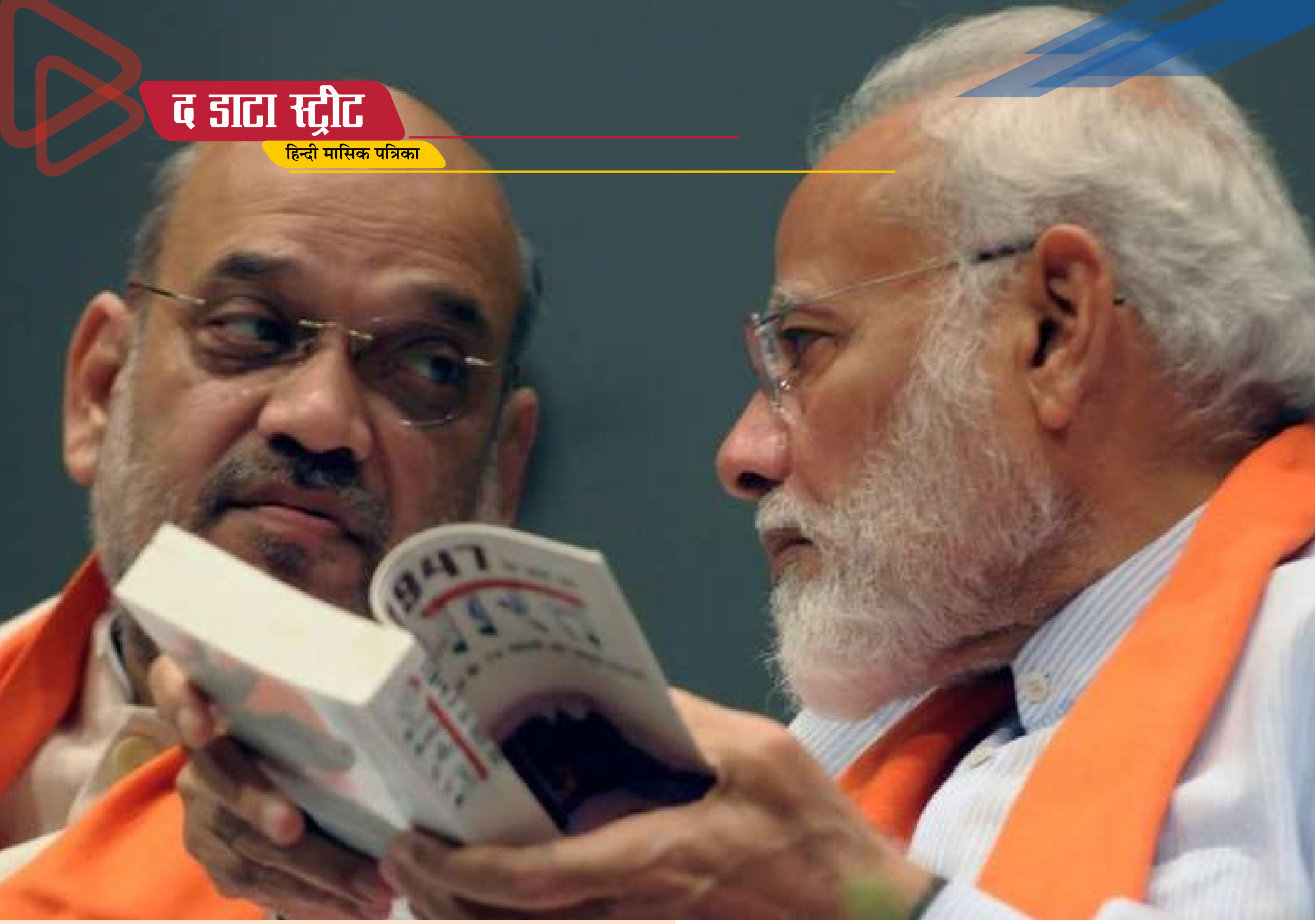

विपक्ष के ख़िलाफ़ हथियार?

मोदी सरकार पर ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल करने के बार-बार आरोप लगते रहे हैं, कुछ जानकार महाराष्ट्र को इस विधि का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहते हैं।

बातहै बीते साल मई की। जब शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी हो गया था। इन विधायकों को पहले गुजरात और फिर रातोंरात गुवाहाटी ले जाया गया। हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनी और इसके लिए जुलाई में पहला फ़्लोर टेस्ट हुआ तोउद्धव गुट के नेताओं ने विधानसभा में 'ईडी-ईडी' के नारे लगाए।

शिंदे गुट पर उद्धव ने आरोप लगाया कि वह ईडी के डर और पैसों के लालच में शिव सेना के विधायकों को तोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं।

इस नारे का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया कि- "ये ईडी की सरकार है और इस ईडी का अर्थ है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार।"

जब महाराष्ट्र में ये सियासी फेरबदल चल रहा था, उसी बीच बीजेपी के ख़िलाफ़ मुखर रहे शिव सेना नेता संजय राउत को ईडी ने 27 जुलाई, 2022 को समन किया। एक अगस्त, 2022 को राउत को मुंबई के गोरेगाँव में पात्राचॉल रिडेवलपमेंट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ़्तार कर लिया गया।

पात्राचॉल के रिडेवेलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कर रही थी। ईडी का कहना है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग डेवेलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की सहायक कंपनी है।

एचडीआईएलवो कंपनी है जिसकी जाँच पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े 4300 करोड़ रूपये के फ्रॉड

केस में हो रही है। ईडी का कहना है कि एचडीआईएल ने करोड़ों रूपए प्रवीण राउत के खाते में ट्रांसफ़र किए। प्रवीण राउत संजय राउत के क़रीबी हैं।

नवंबर 2022 में जब संजय राउत को एक सेशन कोर्ट ने ज़मानत दी तो उस वक्त कोर्ट नेकहा था- "कोर्ट में जो सबूत दिए गए और चर्चाएँ हुईं उनमें प्रवीण राउत परतो भ्रष्टाचार के केस हैं, लेकिन संजय राउत को बेवजह गिरफ़्तार किया गया।"

अब बात कुछ उन नेताओं की भी करते हैं जो उद्धव गुट छोड़कर शिंदे गुट मे आए और उन पर लगे ईडी-सीबीआई के केसों का क्या हुआ?

शिवसेना के नेता अर्जुन खोटकर 2016-2019 के बीच बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे। ईडी उन पर महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले को जाँच कर रही है। ईडी ने जून 2022 में अर्जुन खोटकर के आवास पर छापेमारी की थी औरउनकी 78 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी।

जुलाई में उद्धव गुट छोड़ कर खोटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। जब वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि 'वह हालात के हाथों मजबूर हैं।' शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई ख़बर नहीं है। लगभग ऐसा ही मामला शिवसेना की नेता भावना गवली का भी है। महाराष्ट्र में भावना गवली के डिग्री कॉलेज हैं और उन पर पैसों के हेर-फेर का आरोप है। ईडी गवली के खिलाफ़ मनीलॉन्ड्रिंग के एक केस की जांच कर रही थी। ईडी का आरोप है कि गवली ने एक एनजीओ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। उन पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। गवली शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुईं और इसके बाद से ईडी इस मनीलॉन्ड्रिंग के केस में क्या कर रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

कैसे बढ़ीं ईडी की शक्तियां

यूपीए सरकार के संशोधन से पहले आतंकवाद जैसे मामलों को छोड़ दें तो मनीलॉन्ड्रिंग के मामले वहीं लागू किए जाते थे जहाँ 30 लाख की रक़म या उससे ज़्यादा का हेर-फेर हो इसलिए 2012 तक मनीलॉन्ड्रिंग के 165 मामले ही थे। लेकिन साल 2013 में किए गए संशोधन में 30 लाख की सीमा को समाप्त कर दिया गया, और रक़म कितनी भी कम हो उसे जाँच के दायरे में लाया गया।

लेकिन पीएमएलए एक्ट में सबसे गंभीर बदलाव 2019 में हुए जिसके केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को ज़बरदस्त रूप से शक्तिशाली बनाया। यूपीए नेअगर

पीएमएलए की पहुंच को बढ़ाया तो मोदी सरकार ने इसे और कठोर बना दिया।

इस एक्ट के सेक्शन45 में जोड़ा गया जिसके तहत ईडी के अधिकारियों को ये पावर दिया गया कि वो किसी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ़्तार कर सकते हैं।

ग़ैर-क़ानूनी पैसों से बनाई गई संपत्ति के स्कोप को भी बढा दिया गया। इसके तहत ईडी कोये शक्ति भी दी गई है कि अगर एजेंसी को लगता है कि "कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग़ैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उसपर भी वह कार्रवाई कर सकती है।'

अगर पुलिस किसी को समन करती है तो समन करने वाले को ये बताया जाता है कि उसे अभियुक्त के तौर पर समन किया जा रहा है या गवाह के तौर पर लेकिन ईडी को समन के लिए इस तरह की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती।

ईडीकी पूछताछ में ईडी के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है जबकि अन्य मामलों में बयान तभी कानूनी रूप से वैध होता है जब वह मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी164 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो लेकिन पीएमएलए के तहत ईडी के ऊपर मजिस्ट्रेट की कोई निगरानी नहीं होती।

आमएफ़आईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास अधिकार होता है कि वह एफ़आईआरकी कॉपी मांग सके लेकिन मनीलॉन्ड्रिंग के केस में कॉपी अभियुक्त को देने का कोई प्रावधान नहीं है। जब तक ईडी इस मामले में चार्जशीट दायर न करे तबतक अभियुक्त को पता नहीं होता कि उस पर कौन सी धाराएँ लगी हैं। ईडी के लिए चार्जशीट दायर करने की मियाद 60 दिन है।

पीएमएलए के खिलाफ़ एक दलील ये भी दी जाती है कि इस मामले पर खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ अभियुक्त पर होता है। ज़मानत मिलने के लिए कई मुश्किलें होती हैं क्योंकि एफ़आईआर ना होने से कोर्ट में खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ़ बहस कर पाना अभियुक्त से लिए मुमकिन नहीं होता।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) रेड, इनकम (IT) रेड। केंद्र सरकारों की एजेंसियों की छापेमारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ताजा मामला रायपुर में ईडी रेड का है। जहां कांग्रेस के महाधिवेशन से तीन दिन पहले छापेमारी की गई।

कितने विपक्षी नेता आए रडार पर

बात करते हैं रेड से जुड़े कुछ आंकड़ों की। ये डेटा है एनडीटीवी की रिपोर्ट का, जिसमें साल 2014 से जुलाई 2022 तक मारे गए छापों की पूरी डिटेल है। महत्व पूर्ण बात यह भी है कि यह डेटा केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई उन्हीं रेड का है, जो विपक्षी दलों या आलोचकों पर मारी गई हैं:

साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद से जुलाई 2022 तक कुल 648 ऐसी रेड मारी गईं जिनके निशाने पर विरोधी थे। विपक्षी नेता या आलोचकों पर इन आठ सालों में कुल मिलाकर 648 रेड मारी गईं, इनमें से 466 ऐसे छापे उन लोगों पर मारे गए जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के विरोधी हैं या उनके रिश्तेदार हैं।

कांग्रेस के बाद टीएमसी पर सबसे ज्यांदा रेड

2014 से जुलाई 2022 तक के आंकड़े देखें तो कांग्रेस के 80 नेता रेड के निशाने पर आए। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा रेड ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं के यहां पड़ी। टीएमसी के 41 नेताओं के यहां रेड हुई। तीसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक (पीडीपी) और चौथे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं पर रेड हुईं।

2014 से 2022 तक ईडी ने 99,356 करोड़ की संपत्ति अटैच की

अब एक और आंकड़े पर गौर करिए: जुलाई 2022 में मिनिस्टैर ऑफ स्टेट फॉर फायनेंस पंकज चौधरी ने राज्य सभा में लिखित जवाब देकर बताया कि 2014 से 2022 तक अकेले ईडी ने 3010 रेड मारीं। इसे अगर 2004 से 2014 तक मारी गई रेड से कम्पेयर किया जाए तो यह 27 गुना ज्यारदा है। 2004 से 2014 ईडी ने सिर्फ 112 सर्च ऑपरेशन चलाए।

- ध्यान रहे कि प्रिवेंशन ऑफ मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 में लाया गया और इसे 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया।
- PMLA लागू होने के बाद 9 सालों में ईडी ने कुल 112 सर्च ऑपरेशन किए और 5,346।16 की संपत्ति अटैच की गई। अब 2014 से 2022-2022 तक के आंकड़े पर गौर करें। इस दौरान ईडी ने कुल 3,010 सर्च ऑपरेशन चलाए। इन छापों के दौरान ईडी ने 99,356 करोड़ की संपत्ति अटैच की।
- एनडीए-2 यानी 2019 से अब तक के आंकड़े देखें तो ईडी के एक्शरन के दायरे में एक सीएम, 14 पूर्व सीएम, 19 मंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद आए। इनमें 19 गिरफ्तार हुए और 32 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ईडी के निशाने पर आने वाले ये सभी लोग विपक्ष पार्टियों से ही हैं। (यह डेटा इंडियन एक्स प्रेस की

रिपोर्ट से लिया गया है)

- यूपीए के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान विपक्ष के 2 पूर्व सीएम, 3 मंत्री, 3 सांसद, 0 विधायक, 0 पूर्व विधायक और 0 पूर्व सांसद ईडी के निशाने पर आए यानी इनके यहां सर्च ऑपरेशनहुए। यूपीए के कार्यकाल के दौरान ईडी ने अरेस्टई-0 किया, चार्जशीट9 हुईं और 3 दोषी पाए गए। (यह डेटा इंडियन एक्सईप्रेस की रिपोर्ट से लिया गया है)
- पार्टियों के हिसाब से बात करें तो एनडीए के कार्यकाल में बीजेपी और उसके सहयोगियों के कुल 6 नेता ईडी के निशाने पर आए। कांग्रेस के 24, टीएमसी19, एनसीपी, 11, शिवसेना 8, डीएमके 6, बीजेडी 6, आरजेडी 5, बीएसपी5, सपा 5, टीडीपी5, आम आदमी पार्टी 3, आईएनएलडी3, वाईएसआरपी 3, सीपीआईएम 2, एनसी2, पीडीपी2, निर्दलीय 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसबी 1 टीआरएस का 1 नेता ईडी के निशाने पर आ गया।

महाराष्ट्र: नवाब मलिक और नारायण राणे

बीते साल 23 फरवरी, 2022 को एनसीपी नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने घंटों चली पूछताछ के बाद गिरफ़्तार कर लिया था। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने बाज़ार से काफ़ी कम कीमत में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के क़रीबी सलीम पटेल से संपत्ति खरीदी। ये 22 साल पुराना मामला है जिस पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई की।

इससे पहले जनवरी, 2021 में नवाब मलिक के दामाद समीर ख़ान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया था। इसके बाद अक्टूबर, 2021 में शाहरूख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को एनसीबी ने गिरफ़्तार किया था।

इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप

लगाया था कि एनसीबी और बीजेपी साजिश के तहत आर्यन ख़ान को किडनैप किया। उन्होंने इन केस को फर्ज़ी बताया था। बीते साल अदालत ने आर्यन ख़ान को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया और समीर ख़ान को भी ज़मानत दे दी, लेकिन नवाब मलिक इस वक़्त जेल में हैं, ख़राब सेहत का हवाला देकर ज़मानत लेने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र की ही राजनीति में एक और नाम है नारायण राणे, नारायण राणे शिव सेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रहे।शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार के दौरान 1999 में वो कुछ वक़्त के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे।

साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यब्रत कुमार को एक चिट्ठी लिखकर नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जाँच कराने की मांग की थी। नारायण राणे पर 300 करोड़ रुपये की मनीलॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।

अक्टूबर 2017 में नारायण राणे कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। आज नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। **क्या नारायण राणे के ख़िलाफ़ लगे गंभीर आरोपों की जाँच हुई, केंद्रीय एजेंसियों ने क्या कोई कार्रवाई की? इसका जवाब है, नहीं।**

ये दो मामले एक ही राज्य के हैं जहाँ कांग्रेस में रहते हुए राणे पर मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जबकि 22 साल पहले के एक प्रॉपर्टी सौदे की वजह से एनसीपी नेता नबाव मलिक बीते साल से जेल में हैं।

असम का शारदा घोटाला और हिमंतबिस्वा शर्मा का नाम

असमके मुख्यमंत्री हिमंतबिस्वा शर्मा बीते कुछ सालों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हिंमतबिस्वा आज बीजेपी की सरकार में असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान में स्टार कैम्पेनर हैं।

असम की तरुण गगोई सरकार में सबसे पावरफ़ुल मंत्री रहे हिमंतबिस्वा शर्मा और गोगोई के बीच रिश्ते 2011 के चुनाव के बाद बिगड़ते चले गए, जुलाई 2014 को हिमंतविस्वा शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन तब

तक उनका नाम शारदा चिट फ़ंड घोटाले से जुड़ चुका था।

अगस्त 2014 में हिमंतबिस्वा शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवास और उनके चैनल न्यूज़लाइव के दफ़्तर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। इस चैनल की मालिक उनकी पत्नी रिंकीभुयन शर्मा हैं। नवंबर 2014 को हिमंतबिस्वा शर्मा से सीबीआई के कोलकाता दफ़्तर में घंटों तक पूछताछ की गई। उस समय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिमंतबिस्वा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने शारदा ग्रुप के मालिक और इस मामले में मुख्य अभियुक्त सुदीप्तो सेन से 20 लाख रूपये हर महीने लिए ताकि समूह राज्य में अपना व्यापार ठीक से चला सके।

जनवरी 2015 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सारे चिट फ़ंड के केस की जाँच साबीआई को सौंपने के आदेश दिए और अगस्त 2015 में हिमंतबिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए।

फ़रवरी 2019 में असम कांग्रेस के नेता प्रद्योत बर्दोलोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि "हिमंतबिस्वा शर्मा के बीजेपी में शामिल होते ही असम में शारदा चिटफ़ंड घोटाले की जाँच रोक दी गई है।"

इस मामले की जाँच कहाँ तक पहुँची है इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बाततय है कि बीजेपी में शामिल होने और राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। हिमंत को बीजेपी नेपूर्वोत्तर में गठबंधन दल नॉर्थ-ईस्ट डेवलपमेंटअलायंस यानी नेडा का प्रमुखभी बनाया और वह बीजेपी के पूर्वोत्तर में विस्तार के हीरो माने जाते हैं।

ममता के भतीजे का मामला

असमके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से बीते साल अगस्त में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने कोयले

की चोरी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ये तीसरी बार थाजब अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के ईडी दफ़्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया।

कोयले के करोड़ों के ग़ैर-कानूनी खनन के इस मामले की जाँच सीबीआई और ईडी दोनोंकर कर रही हैं। 19 मई 2022 को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की और 41 लोगों को अभियुक्त बनाया, हालांकि इस चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है।

ये मामला है नवंबर 2020 का, जब इस्टर्न कोलफ़ील्ड लिमिटेड के विजिलेंसविंग को पश्चिम बीर भूम के इलाके से 'कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी' के साक्ष्य मिले और इस आधार पर उसने एफ़आईआर दर्ज कराई। आरोप है कि यहाँ कोयले की खादान में तड़के ही ग़ैरकानूनी रूप से खुदाई करके बोरियों में भरकर कोयला ट्रक, साइकिल के ज़रिए लोड करके चोरी किए जा रहे थे।

मामले में राजनीतिक ट्विस्ट तब आया जब 2021 में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी ने पूछाताछ के बुलाया, ये समन 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था यानी पूछताछ की पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव था।

ममता बनर्जी ने इस समन को 'बीजेपी की डराने की नाकाम कोशिश' बताया था और अब तक इस केस में जांच चल रही है।

शुभेंदु अधिकारी के मामले में क्या हुआ?

दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के क़रीबी और टीएमसी में पावरफ़ुल नेता माने जाते थे, लेकिन 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारी ने बीजेपी ज्वॉइन की और आज विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

बात है साल 2014 की। पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने एक स्टिंगऑपरेशन किया। इसस्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि टीएमसी के मुख्य नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और फ़िरहाद हकीम जैसे कई अन्य नेता कैमरे पर लाखों की रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए दिख रहे

हैं। इसे नारदास्टिंग केस के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमस की जीत के तुरंत बाद मई 2021 में सीबीआई ने इस केस में चार टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया। जिसमें ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम और पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी भी थे।

इस मामले में ईडी ने सितंबर में एक चार्जशीट फ़ाइल की और इसमें फ़िरहाद हाकिम, सुब्रता मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी का नाम शामिल किया गया। सोवन चटर्जी ने भी बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी लेकिन कुछ महीनों बाद ही अपनी मनपसंद सीट से टिकट न मिलने पर उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी।

इस चार्जशीट में ना तो शुभेंदु अधिकारी का नाम था और ना ही मुकुल रॉय का। ये दोनों ही नेता अब बीजेपी में हैं जबकि इस स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी 5 लाख और मुकुल रॉय15 लाख रूपये की रिश्वत लेने के लिए रज़ामंद हुए थे।

नेशनल हेराल्ड केस

आज जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, ये केस सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दर्ज कराया। इस केस में 120 (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) जैसी धाराएँ लगाई गई हैं, पीएमएलए की इसमें कोई धारा नहीं थी लेकिन फिर भी ईडी ने इस मामले की जांच इस तर्क के साथ शुरू की कि इस मामले में आईटी विभाग की चार्जशीट है और ये दो धाराएं हैं।

ऐसे में वह इस केस की जाँच कर सकती है जबकि ये मामला 2019 के पहले का है, तबतक ईडी के पास उन्हीं मामलों की जाँच करने का अधिकार था जिसमें पहले सेदर्ज एफ़आईआर में पीएमएलए के सेक्शन लगाए गए हों।

ED ने 20 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेताओं समेत कुल 13 लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। मामला कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़ा है। दूसरी ओर कांग्रेस इस छापेमारी को सिर्फ और सिर्फ सियासत से जुड़ा बता रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह डाला कि हम डरने या झुकने वाले नहीं है। 2024 आने वाला है। मौसम बदलने वाला है।

NATIONAL HERALD

8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपीए के 9 साल में 4156 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई थी अटैच

अगर पिछली यूपीए सरकार की बात करें तो 9 साल यानी जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक 1,867 केस दर्ज किए गए। यूपीए सरकार में मनीलॉन्ड्रिंग के तहत 4,156 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 7,833 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और 785 नए केस दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा यूपीए सरकार के नौ साल के मुकाबले 88 प्रतिशत तक ज्यादा है। अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक देश में मनीलॉन्ड्रिंग के कुल 395 केस दर्ज हुए थे और 8,989.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी।

देश में मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लागू हुआ था। तब से मार्च 2022 तक कुल 5,422 केस दर्ज हो चुके हैं और 1.04 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्तिअटैच की जा चुकी है। इन मामलों में कुल 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 दोषी ठहराया गया है।

बीजेपी सरकार के 8 साल में ही 2,974 छापे पड़े

यूपीएके 9 साल में ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे थे, जबकि एनडीए के 8 साल में ही 2,974 छापे पड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में केंद्र ने बताया कि 2004 से 2013-14 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे थे। वहीं, अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 2,974 छापे मारे गए।

मनमोहन सरकार में ईडी के 112 छापे, मोदी राज में 3010 रेड

2004 से लेकर 2014 के बीच में ईडी ने 112 छापे मारे थे, जबकि मोदी सरकार के दौरान आठ साल में इन छापों की संख्या 3010 हो गई है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार के तानाशाही राजमें ईडी का नया नाम और नया काम लोकतंत्र को खत्म करना है।

कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, मोदी सरकार में ईडी ने जिन राजनेताओं के यहां पर रेड की है या उनसे पूछताछ की है, उनमें 95 फीसदी विपक्ष के नेता हैं। इसमें सबसे

6 साल में ईडी का एक्शन

साल	समन	छापे	गिरफ्तारी
2016-17	4567	226	31
2017-18	5837	368	38
2018-19	9175	519	24
2019-20	10668	335	41
2020-21	12173	596	78
2021-22	11252	572	54

आंकड़े 30 नवंबर 2021 तक के हैं।

ज्यादा रेड कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों और दफ्तरों पर की गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने रेड की थी। राहुल गांधी से ईडी ने 50 घंटे से भीअधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद सोनिया गांधी से तीन दिन पूछताछ की गई।पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की।

अब छत्तीसगढ़ में 'भारत जोड़ो यात्रा' की सफलता के बाद पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी ने छापेमारी की है। इनमें पीसीसी कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और सन्नी अग्रवाल शामिल हैं।

साल-दर-साल केस और अटैच संपत्ति

समयावधि	केस	अटैच संपत्ति
2016-17	200	11032
2017-18	148	7432
2018-19	195	15490
2019-20	562	28815
2020-21	981	14107
2021-22*	395	8989

नोट- अटैच संपत्ति के आंकड़े करोड़ रुपए में

2014 से लेकर अब तक ईडी ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े 24 नेताओं के यहां रेड डाली है। टीएमसी के 19, एनसीपी 11, शिवसेना के 8, डीएमके 6, बीजद 6, राजद 5, बीएसपी 5, सपा 5, टीडीपी 5, इनेलो 3, वाईएसआरसीपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1 और एसबीएसपी 1 से जुड़े नेताओं पर जांच एजेंसी ने दस्तक दी है।

कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा, हिमंत बिस्वासरमा, जो अब असम के सीएम हैं, के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने जांच की थी। उन पर शारदा चिटफंड घोटाले केआरोप लगे थे। उस वक्त वे कांग्रेस पार्टी में थे। सीबीआई ने उनके घर और कार्यालय पर छापा मारकर उनसे पूछताछ भी की थी। बाद में वे भाजपा में चले गए तो भाजपाई वाशिंग मशीन यानी 'ईडी' में धुलकर साफ हो गए।

इसी तरह की सूची में सुवेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे और मुकुल रॉय भी शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी से दो सवाल पूछे हैं। मीडिया जब कुछ छापती है तो छापा मारा जाता है। संसद में विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता।

न्यायपालिका को सार्वजनिक तौर पर प्रेसवार्ता करने के लिए मजबूर किया जाता है। विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के खिलाफ फ्रंटल संगठन बना रखा है। पवन खेड़ा और जयराम रमेश के अनुसार, केंद्र सरकार, अदाणी के घोटालों की जांच क्यों नहीं कर रही।

ED का दावा- सिर्फ माल्या-नीरव ही नहीं, पिछले कुछ समय में देश से भागे 51 कारोबारी

भारत में बैंकिंग सेक्टर में पहला घोटाला साल 1992 में सामने आया, जिसमें हर्षद मेहता ने बैंकिंग के नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपयों को शेयर मार्केट में लगा दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के लेन-देन में हुए घोटाला सामने आया, जिसने बैंकिंग सेक्टर से लेकर सरकार तक को हिला दिया। इस घोटाले के सामने आते ही आरोपी नीरव मोदी ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज होने से पहले ही देश छोड़ दिया। यह पहला मौका नहीं है जब किसी घोटाले में फंसा आरोपी शख्स देश छोड़कर बाहर गया हो, इससे पहले भी कई लोगों पर देश के करोड़ों रुपए लूटने के आरोप लगे हैं। आरोप लगते ही वे देश छोड़कर भाग गए।

सरकार की ओर से वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2019 में इस बाबत जानकारी देते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध करके देश छोड़कर भागने वाले कुल 51 लोगों ने देश के साथ 17900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। ठाकुर ने कहा कि सीबीआई ने बताया कि आजतक कुल 66 मामलों में 51 अपराधी फरार घोषित हैं जोकि देश छोड़कर भाग गए हैं।

विदेश फ़रार होने वाले कारोबारियों में विजय माल्या, सौमित जेना, विजय कुमार रेवा भाई पटेल, सुनील रमेश रूपाणी, पुष्पेश कुमार वैद्य, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कौर, अशीष जोबनपुत्र, जतीन मेहता, नीरव मोदी, नीशल मोदी, अमी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, चेतन जयंतीलाल संदेशरा, दीप्ति चेतन संदेशरा, नितिन जयंतीलाल संदेशरा, सभ्य सेठ, नीलेश पारिख, उमेश पारिख, सन्नी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भाई भट, एमजी चंद्रशेखर, चेरियावी, सुधीर, नौशाकादीजथ और चेरियावी सादिक शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की सूची के अनुसार जांच से जुड़े मामलों में भारत से फ़रार होने वाले लोगों में विजय माल्या, जतिन मेहता, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुलचोकसी, रितेश जैन, संजय भंडारी, नितिन जयंती संदेशरा, चेतन जयंतीलाल संदेशरा, धर्मेंदर सिंह आनंद, आशीष जोबनपुत्र और प्रीति जोबनपुत्र के नाम शामिल हैं.

सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमे इन आरोपियों ने कुल 17947.11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई सीबीआई ने तमाम सक्षम न्यायालय में इन अपराधियों के खिलाफ केस दायर किए हैं और मामलों की जांच कर रही है। इसके साथ ही 51 अपराधियों को लेकर हम प्रत्यर्पण अनुरोध पर भी काम कर रहे हैं जोकि अलग-अलग चरण पर लंबित हैं।

इन आरोपियों ने कुल 17947.11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई सीबीआई ने तमाम सक्षम न्यायालय में इन अपराधियों के खिलाफ केस दायर किए हैं और मामलों की जांच कर रही है। इसके साथ ही 51 अपराधियों को लेकर हम प्रत्यर्पण अनुरोध पर भी काम कर रहे हैं जोकि अलग-अलग चरण पर लंबित हैं। तमाम अन्य एजेंसियों की बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क विभाग ने छह आर्थिक अपराधियो के खिलाफ अपनी जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ये ऐसे लोग हैं जो देश अवैध रूप से छोड़कर भागे हैं।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय न भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत सक्षम कोर्ट में 10 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बता दें कि नीरव मोदी, मेहुलचोकसी, विजय माल्या समेत तमाम बिजनेसमैन देश को चुना लगाकर फरार हो गए हैं। कई लोगों के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नरर नोटिस भी जारी किए गए हैं। बता दें कि नीरव मोदी ग्रुप को 1381 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए थे जोकि 25000 करोड़ रुपए के थे वह फर्जी थे।

M/s. Chauhan Pen Center

Deals in: All kind of Stationery & Govt. General order Supplier

JITENDER KUMAR SINGH : 9335244977

53- Gwynne Road, Aminabad, Lucknow 226018

VMT

Vaishno Marble & Traders

Deals in: All types of Marble, Granite Kota, Tiles etc.

Mobile: 9415034158, 9369106489